सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 15/15</u> निर्णय दिनांकः– 16.2.2018

1. शंकरदान पुत्र प्रभूदान जाति चारण निवासी बिजेरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22–03–1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

<u>उपस्थितिः–</u>
1. श्री धीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 22–03–1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने साक्ष्य के अभाव मे खारिज किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में वर्ष 1988 में सिलिंग सरप्लस में भूमि आवंटन के तहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा आवंटन मात्र

इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट पाक विस्थापित है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अदालत मातहत द्वारा एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत चयनित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर अदालत मातहत ने प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट के सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–03–1988 के विरूद्व अपील दिनांक 24–09–15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा अपने आवंटन आवेदन पत्र के साथ वांछित सबूत यथा एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत चयनित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–03–1988 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 26–08–2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 1988 में सिलिंग सरप्लस में भूमि आवंटन के तहत भूमि आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त श्रेणी में आवंटन हेतु एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत चयनित होने का प्रमाण पत्र, सेना या सीमा सुरक्षा बल के सदस्य जिसने सेना या सीमा सुरक्षा बल में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की है तथा कमिश्नर अफसर नहीं है, भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र, फोटो फार्म आदि सबूत प्रस्तुत किये जाने अपरिहाय थे।

(3) अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ में एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत चयनित होने का प्रमाण पत्र, सेना या सीमा सुरक्षा बल के सदस्य जिसने सेना या सीमा सुरक्षा बल में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की है तथा कमिश्नर अफसर नहीं है, आदि सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा यह तय किया जाना संभव प्रतीत नहीं था कि अपीलांट एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत चयनित है अथवा नहीं व भूमि आवंटन का पात्र है।

(4) अदालत मातहत द्वारा भी अपीलांट को भूमिहीन श्रेणी में बारानी भूमि पाने का पात्र नहीं मानते हुए पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश करने के आदेश पारित किये गये है। जबकि आवंटन नियम सिलिंग के अन्तर्गत अपीलांट/प्रार्थी एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत चयनित होना अपरिहार्य है।

अपीलांट उक्त तथ्य को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटन नियम सिलिंग के तहत भूमि आवंटन कराने का पात्र नहीं मानते हुए आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल कारित नहीं की है। अतः अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत आदेश है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 22—03—1988 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर